देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

w w w . j a w a b d o s a r k a r . c o m

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2024/mmp/02 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 2 जनवरी 2024

गद्दे वाले की दादागिरी!!!

ना भू-उपयोग परिवर्तन करवाएंगे! ना नक्शे पास करवाएंगे! ना सेट-बेक छोड़ेंगे और ना ही पार्किंग छोड़ेंगे! लेकिन अवैध कॉम्प्लेक्स बनाकर रहेंगे!

जेडीए के जोन-7 मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 24 हीरा नगर-ए,सारथी मार्ग,चित्रकूट पर अवैध बेसमेंट खोदकर,बनाया जा रहा तीन मंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स!!पहले इस भूखंड पर बनी अवैध दुकानों मे गद्दों का अवैध शोरूम संचालित किया जाता रहा है|

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है जेडीए के जोन-7 मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 24,हीरानगर-ए,सारथी मार्ग,चित्रकूट पर अवैध बेसमेंट खोदकर,बन रहे तीन मंजिला से अधिक के व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का मामला??

आपको बता दें कि जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार,जेडीए के जोन-7 मे स्थित 360 वर्ग गज का आवासीय भूखंड संख्या 24,हीरानगर-ए,सारथी मार्ग,चित्रकूट श्री नीरज गुप्ता के नाम दर्ज है|कई वर्षों से इस आवासीय भूखंड के एक हिस्से पर अवैध दुकाने बनाकर, अवैध रूप से गद्दों के शोरूम का संचालन किया जा रहा था,लेकिन अब इस भूखंड पर बिना JDA की अनुमति,बिना नक्शे पास करवाए,बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए बेसमेंट सहित तीन मंजिला अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है|

how 10 entries

Search:

PlotNo	Property ID	Owner / C/o	Use	Allotment Date / Area	Possession Date / Area	LeaseHold (Patta) Date / Area	FreeHold Date / Area	Lottery	Deposit Ledger
16A	4932000044	MADHU RATHI & DINESH KUMAR RATHI /DINESH KUMAR RATHI & INDRAMAL RATHI	Residential	23/07/1996 162.50 SQ. YARD			17/10/2022 162.50 SQ. YARD		View
18	4932000187	SUNITA RAI /LATE SHRI GANPAT RAI CHHABRA	Residential	18/06/1996 252.86 SQ. YARD			18/03/2023 252.82 SQ. YARD		View
23	4932000233	ANITA GOYAL /MAHESH KUMAR	Residential	28/05/2002 238.82 SQ. YARD			02/03/2023 238.82 SQ. YARD		View
24	4932000240	NIRAJ GUPTA / RAMAWATAR GUPTA Tranfered Date 31/07/2020	Residential	21/09/1990 360.88 SQ. YARD		10/02/2014 360.88 SQ. YARD			View
		SANDEEP MANGAL		20/09/1996			04/10/2022		

पूर्व मे चल रहे गद्दे के शोरूम और वर्तमान मे हो रहे निर्माण की फोटो!!

अवैध कॉम्प्लेक्स के बन जाने से JDA को लाखों रुपयों के राजस्व की हानि!!

मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक निर्माण हेतु JDA द्वारा गठित भू-उपयोग परिवर्तन समिति मे प्रस्ताव प्रस्तुत कर व्यवसायिक/मिश्रित भूउपयोग हेतु विधिवत अनुमति लेनी अनिवार्य है|इसके उपरांत भूखंड धारक को निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा करवाकर,नक्शे पास करवाकर ही निर्माण कार्य करवाना अनिवार्य है|लेकिन इस मामले मे भूखंड धारक द्वारा ना तो भूखंड का भू उपयोग परिवर्तन करवाया गया और ना ही भूखंड पर निर्माण हेतु नक्शे स्वीकृत करवाए गए है ऐसे मे इस अवैध कॉम्प्लेक्स के बन जाने से JDA को लाखों रुपयों के राजस्व की हानि होना तय है|

जेडीए के जोन 7 मे अवैध निर्माणों की बाढ़!!

जेडीए • हर दिन 20 से अधिक शिकायतें, विकास के बीच भूमाफिया का बढ़ रहा कब्जा

सरकार ध्यान दे... जेडीए ने अतिक्रमियों और भूमाफिया पर रोक के लिए प्लान नहीं बनाया

इंफ्रा रिपोर्टर | जयपुर

जेडीए ने 100 दिन की कार्ययोजना में सड़क-नाली निर्माण, नए पार्कों का विकास और अन्य कार्यों को भले ही शामिल कर लिया हो, लेकिन शहर में अतिक्रमण और कब्जे को रोकने के लिए किसी प्रकार की योजना जेडीए अधिकारियों ने शामिल नहीं की है। ऐसे में अतिक्रमण और कब्जे से परेशान लोगों को राहत मिलना मुश्किल है। ऐसे में लोगों को नई सरकार से उम्मीद है कि कब्जेधारियों से उन्हें निजात दिलाएगी।

मालूम हो कि पिछले कुछ सालों में अतिक्रमणकारी शहर में ना केवल कृषि भूमि बल्कि जेडीए की जमीन पर ही कब्जा कर लोगों को फ्लैट बेच रहे हैं। जब तक लोगों को इस कब्जे की जानकारी होती है तब तक लोग अपनी जमा पूंजी गंवा चुके होते हैं। कोविड के बाद शहर में जमीन के भाव आसमान छूने लगे हैं और चारों तरफ विकास बढ़ रहा है। इसी का फायदा भूमाफिया उठा रहे हैं और कब्जा करने लगे हैं। विभाग के अधिकारियों को शुरुआती दौर मे जानकारी होने के बावजूद वे समय पर वहां तक नहीं पहुंचते और समय पर कार्रवाई नहीं होती। भूमाफिया ऐसी जगहों पर लोगों को प्लॉट और फ्लैट बेच देते हैं जिस के पास पहले से सही भूमि पर काम चल रहा होता है।

जेडीए की कार्रवाई इस की गवाह, कब्जे बढ़े

पिछले 15 दिनों में जेडीए की ओर से की जा रही कार्रवाई इसकी गवाह है और खुद अधिकारी मानते हैं कि पिछले महीनों की तुलना में इन दिनों कब्जे और अतिक्रमण बढ़े हैं। कार्रवाई भी की जा रही है लेकिन जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है और प्लाटिंग कर लोगों को चीजें बेची जा रही हैं, उससे जेडीए की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगे हैं।

100 दिन के प्रोजेक्ट में यह

जवाहर सर्किल का सौंदर्यीकरण, शहर में सड़कों का जाल और उन्हें सही किया जाना, नए पार्कों का विकास और पटटे जारी किया जाना। लेकिन जेडीए के पास हर दिन 20 और महीने में 500 से अधिक शिकायतें ऐसी आती हैं जिनमें कहीं कब्जा या अन्य परेशानियां आ रही होती हैं। ऐसा शायद ही कभी हुआ है कि किसी शिकायत पर उसी दिन कार्रवाई हो गई हो। इसके बावजूद इन शिकायतों के निवारण के लिए किसी प्रकार का प्लान जेडीए ने डवलप नहीं किया है।

जेडीए लगातार यह दावे कर रहा है कि उसकी सख्ती के चलते अवैध निर्माणों मे कमी आई है और जयपुर के बिल्डर अब जेडीए से स्वीकृति और नक्शे पास करवाने के बाद ही बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे है|लेकिन बिल्डरों की मनमानी के सामने शायद यह जेडीए के कर्ता-धर्ताओ की खुशफहमी साबित हो रही है|आपको बता दें कि विगत 5 सालों मे जेडीए की प्रवर्तन शाखा द्वारा सैंकड़ों अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाये गए है,लेकिन इसके बावजूद जेडीए की पॉश कॉलोनियों जैसे सी-स्कीम,मालवीय नगर,वैशालीनगर,चित्रकूट आदि मे इन अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आई हुई है|इन अवैध निर्माणों के खेल मे कोई पीछे नहीं नजर आ रहा है और हर तरह का अवैध निर्माण पूरे जोरों पर है, वो चाहे अवैध होटल हो या फिर रुफ टॉप या फिर अवैध बिल्डिंग और या फिर अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स|

JDA की प्रवर्तन शाखा का ध्यान केवल बाहरी इलाकों मे बस रही अवैध कॉलोनियों की तरफ,शहर मे हो रहे अवैध निर्माणों से जिम्मेदार बेफिक्र|

यदि आप JDA की पिछले 4 महीनों की कार्यवाही पर नजर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि JDA मे अवैध निर्माणों की रोकथाम के लिए स्थापित प्रवर्तन शाखा का ध्यान केवल और केवल जयपुर के बाहरी इलाकों मे कृषि भूमियों पर बस रही अवैध कॉलोनियों की तरफ ही है,लेकिन JDA प्रवर्तन की इस कार्यशैली का खामियाजा जयपुर शहर को उठाना पड़ रहा है,यही वजह है कि जयपुर शहर की ऐसी कोई भी कॉलोनी या सड़क नहीं बची है जो अवैध निर्माणों से त्रस्त नहीं हो|

क्या JDA के जिम्मेदार अधिकारी करेंगे इस अवैध कॉम्प्लेक्स पर कार्यवाही?

देखना यह है कि यह मामला JDA के आला अधिकारियों के संज्ञान मे आने के बाद वह इस बिना अनुमति हो रहे अवैध व्यवसायिक निर्माण को बंद करवाते है या फिर रसुखदार निर्माणकर्ता के रसूख के आगे नतमस्तक हो जाते है|